

पीठसीन अधिकारी : श्री बाबू लाल, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 216/2023
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2023/277
अनवान

हरिशंकर पिता बालू कुमावत निवासी शम्भुपुरा तहसील शाहपुरा

—प्रार्थी

बनाम

- 1- श्रीमति सोहनी पुत्री नाथू कुमावत निवासी शम्भुपुरा तहसील शाहपुरा
- 2- कृष्णगोपाल पुत्र लादूलाल ब्राह्मण निवासी शम्भुपुरा तहसील शाहपुरा
- 3- श्रीमति टोनी पत्नी गोविन्दराम कुमावत निवासी गोपालपुरा तहसील शाहपुरा
- 4- छोटू पिता कल्याण कुमावत निवासी शम्भुपुरा तहसील शाहपुरा
- 5- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956
(वास्ते-विवादित भूमि की पत्थरगढी करने बाबत)

तारीख रजू : 18-09-2023

उपस्थित :-

1. श्री योगेन्द्र सिंह भाटी : अधिवक्ता प्रार्थी
2. शिवराज कुमावत : अधिवक्ता अप्रार्थी 1
3. विपक्षीगण संख्या 2 लगायत 5 एकपक्षीय

::- निर्णय :-:

दिनांक : 19-05-2025

1. वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरुद्ध विपक्षीगण द्वारा पेश किया गया संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम शम्भुपुरा प0ह0 रूपपुरा भू0अ0निरीक्षक तहनाल तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 573/1080 रकबा 0.07 है0, 574 रकबा 0.26 है0, 575 रकबा 0.19 है0, 581 रकबा 0.18 है0, 567 रकबा 0.24 है0, 573 रकबा 0.27 है0 कुल किता 6 रकबा 1.21 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ोसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। प्रार्थीया आरामी देवी दिनांक 15.07.2023 को अपनी आराजियात पर गयी तो विपक्षीगण के विरुद्ध विवाद हुआ।
2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। दिनांक 06.11.2023 को विपक्षी सं. 01 की ओर से अभिभाषक श्री शिवराज कुमावत द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाकर जवाब हेतु अवसर चाहा गया। बावजूद सम्यक् तामिली विपक्षीगण संख्या 2 लगायत 5 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध दिनांक 21.02.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 01.05.2024 को अभिभाषक विपक्षी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल अभिभाषक प्रार्थी को दी गयी। प्रकरण वास्ते बहस के नियत किया गया। दिनांक 15.05.2025 को बहस अभिभाष उभयपक्ष सुनी गयी। प्रकरण वास्ते आदेश के नियत किया गया। प्रकरण में दिनांक 03.07.2024 को वादग्रस्त आराजियात की मौका रिपोर्ट हेतु पटवारी/भू0अ0निरीक्षक को लिखे जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 27.01.2025 प्रार्थी हरिशंकर पिता बालू कुमावत निवासी शम्भुपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 जा. टी. मय संशोधित शीर्षक के प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 12.05.2025 को सुनवाई की गयी। अभिभाषक विपक्षी सं. 01 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना लिखा गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हरिशंकर को प्रार्थी के रूप में संयोजित किये जाने के आदेश दिये गये। प्रकरण में दिनांक 19.05.2025 को अंतिम बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गयी। अभिभाषक विपक्षी सं. 01 ने बहस में पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना मौखिक निवेदन किया गया।
3. वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम शम्भुपुरा प0ह0 रूपपुरा भू0अ0निरीक्षक तहनाल तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 573/1080 रकबा 0.07 है0, 574 रकबा 0.26 है0, 575 रकबा 0.19 है0, 581 रकबा 0.18 है0, 567 रकबा 0.24 है0, 573 रकबा 0.27 है0 कुल किता 6 रकबा 1.21 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाम प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा(राज.)

सीमा संबंधी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन पेश किया है।

4. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया जाकर विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया । जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम शम्भुपुरा 4080 रूपपुरा भू0अ0निरीक्षक तहनाल तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 573/1080 रकबा 0.07 है0, 574 रकबा 0.26 है0, 575 रकबा 0.19 है0, 581 रकबा 0.18 है0, 567 रकबा 0.24 है0, 573 रकबा 0.27 है0 कुल किता 6 रकबा 1.21 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी वादगस्त आराजी खसरा नम्बर 573/1080 रकबा 0.07 है0, 574 रकबा 0.26 है0, 575 रकबा 0.19 है0, 581 रकबा 0.18 है0, 567 रकबा 0.24 है0, 573 रकबा 0.27 है0 कुल किता 6 रकबा 1.21 है0 का अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है।
5. हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :-

धारा 128 सीमा विवाद- संबंधी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा 111 में निर्धारित रीति से किए जायेंगे।

1.(परन्तु खेतों के सीमाओं संबंधी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा में विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं है, जिससे साबित होता कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि की सीमाओं को लेकर कोई विवाद हो। चूंकि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 128(1) के अनुसरण में सीमा से संबंधित निर्विवाद मामलों में तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6. उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन करने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, शाहपुरा को निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि वे धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रार्थी के खातेदारी की आराजी राजस्व ग्राम शम्भुपुरा 4080 रूपपुरा भू0अ0निरीक्षक तहनाल तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 573/1080 रकबा 0.07 है0, 574 रकबा 0.26 है0, 575 रकबा 0.19 है0, 581 रकबा 0.18 है0, 567 रकबा 0.24 है0, 573 रकबा 0.27 है0 एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर माप करवाते हुए प्रार्थी की आराजी का प्रार्थी के व्यय पर मौके पर पत्थरगढी करवाए। वक्त कार्यवाही उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। दौरान कार्यवाही संबंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए तथा स्थगन होने की दशा में स्थगन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर, सीमाओं में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करते हुए कब्जा प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु पाबंद किया जावे। पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 19-05-2025 को सरें इजलास सुनाया गया



प्रतिनिधि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

(बाबू लाल)

सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा